भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 204

(जिसका उत्तर सोमवार, 03 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक) को दिया जाना है।)

सुरक्षा बाजार में साइबर सुरक्षा

204. श्री के. षणमुग सुंदरम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास सुरक्षा बाजारों के हितों की साइबर हमलों/खतरों से संरक्षण और सुरक्षा हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय को सुरक्षा बाजारों से या सेबी से उनके डेटाबेस पर साइबर हमलों से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान साइबर हमलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख):

- साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं की निगरानी एवं यथा आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिभूति बाजार में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक थ्री-टीयर संरचना को स्थापित किया है।
- सेवी ने स्टॉक एक्सचेंजों, समाशोधन निगमों एवं निक्षेपागारों में साइबर सुरक्षा की व्यापक समीक्षा सालाना दो बार करने के लिए अधिदेशित किया है।
- सेबी ने सभी बाजार अवसंरचना संस्थाएं (एमआईआाई) को यानी स्टॉक एक्चेंजों, समाशोधन निगमों एवं निक्षेपागारों को साइबर सुरक्षा प्रचालन केंद्र (सीएसओसी) की स्थापना करने, पता लगाने, विश्लेषण करने, कार्रवाई करने, रिपोर्ट करने और साइबर सुरक्षा घटनाओं को रोकने के लिए समर्पित सुरक्षा विश्लेषकों द्वारा 24x7x365 में संचालित साइबर सुरक्षा कार्य केंद्र स्थापित करने का अधिदेश दिया है।

(ग) और (घ): सेबी ने मंत्रालय को पिछले तीन सालों में प्रतिभूति बाजारों में किसी भी साइबर आक्रमण की घटना की रिपोर्ट नहीं दी है।

******